न्यायालय –विशेष न्यायाधीश लैं0अ0 से बालकों का संरक्षण अधि0 2012/इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.)

Registration No.	IA/01/2026
FIR No	672/2024
Filling No.	53673/2024
CNR No.	MP0901-064949-2024
Date of Institution	18-05-2026

पवन उर्फ भय्यू पिता रमेश मालवीय,
आयु–21 वर्ष, व्यवसाय–मजदूरी,
निवासी– दस्तूर गार्डन के पीछे,
द्वारकापुरी, इंदौर म.प्र.,

.....आवेदक/अभियुक्त

– विरूद्ध –

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–द्वारकापुरी,
जिला–इंदौर म.प्र.

.....अना./अभियोजन

आदेश दिनांक 19.05.2026

Details as per direction of order dated 01-04-2023 passed by Hon'ble High Court of M.P in MCRC No. 8227/2023 Dipak yadav Vs. State of MP and Circular No. B/3189 Jabalpur, Dated 28-04-23

1	Registration of Offence	137(2), 87, 65 BNS 2023 एवं धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट
2	FIR Number	672/2024
3	Date of Registration of FIR	31-10-2024
4	Name of Police Station	द्वारकापुरी

5	Criminal Antecedents	NIL
6	Date of Arrest of the Accused	31-10-2024
7	In case Charge sheet is filed, the date of filing of charge-sheet	31-12-2024

आवेदक/आरोपी पवन उर्फ भय्यू की ओर से अधिवक्ता श्री हितेश शर्मा उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्रीमती प्रीति अग्रवाल, विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. आई.ए. नंबर 1/2026 पर तर्क हेतु नियत है।

अभियोक्त्री को जारी सूचना पत्र तामील, अदम तामील वापस प्राप्त नहीं। अभियोक्त्री अनुपस्थित।

सी.आई.एस लिपिक द्वारा सीआईएस एवं म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट को चेक करने के बाद यह बताया गया है कि आवेदक का कोई जमानत आवेदन पत्र अन्य न्यायालय में न तो लंबित है और न हीं निराकृत हुआ है।

आवेदक/आरोपी पवन उर्फ भय्यू की ओर से यह व्यक्त किया गया कि प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–483 बी.एन.एस.एस का **प्रथम नियमित जमानत** आवेदन पत्र है, उक्त जमानत आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन न तो सत्र न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं और न ही निराकृत हुये हैं और न ही लंबित है। इस संबंध में आवेदक/आरोपी की ओर से उसकी बहन रोशनी मालवीय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदक/आरोपी ने इस आधार पर जमानत की मांग की है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि अभियोक्त्री अपनी सहमति से अभियुक्त के साथ गई थी और उसके साथ रह रही थी। आवेदक स्थानीय निवासी है उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। आवेदक लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगेगा। अभिलेख से अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष होना दर्शित है। आवेदक अपने परिवार का अकेला आय अर्जित करने वाला व्यक्ति है और उसके लंबे समय से अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। आवेदक न्यायालय की शर्तों का पूर्णतः पालन करेगा और साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जावे।

विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल की ओर से जमानत आवेदन पत्र का मौखिक विरोध किया गया।

उभयपक्षों के तर्क श्रवण किये गये।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अभियोजन मामले के अनुसार दिनांक 30.10.2024 को अभियोक्त्री की मां ने आरक्षी केन्द्र द्वारकापुरी इंदौर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह XXX स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहती है। उसकी झोपड़ी के पास ही उसकी मां की झोपड़ी स्थित है। दिनांक 29.10.2024 को रात्रि के समय 8:00 बजे उसकी पुत्री/अभियोक्त्री उम्र 14 वर्ष घर से अपनी नानी के यहां जाने का बोलकर गई थी। रात्रि के समय लगभग 9:00 बजे जब वह अपनी मां के पास अभियोक्त्री के बारे में पूछने गई तब अभियोक्त्री वहां नहीं मिली। उनके द्वारा अभियोक्त्री की आसपास तलाश की गई किन्तु उसका कोई पता नहीं चला। सुबह के समय लगभग 11:00 बजे अभियोक्त्री घर वापस आ गई। घर वापस आने पर अभियोक्त्री ने बताया कि पिछले एक वर्ष से वह आवेदक/अभियुक्त को जानती है। उक्त रात्रि को अभियुक्त उसे बहला–फुसलाकर परस्पर गार्डन स्थित टापरे/झोपड़ी पर ले गया और वहां पर अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया। दूसरे दिन सुबह अभियुक्त ने उसे वापस घर भेज दिया था।

अभियोजन का आगे मामला यह है कि अभियोक्त्री की मां की मौखिक सूचना पर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त आधारों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जाकर अभियोक्त्री का कथन लेखबद्ध किये गये। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। न्यायालय में बी.एन.एस.एस की धारा 183 के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किया गया। शेष साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में उसका जन्म प्रमाण पत्र जप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण एवं डी.एन.ए की कार्यवाही कराई गई। दिनांक 31.12.2024 को अभियुक्त के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता ने अभियोक्त्री के जन्म प्रमाण पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह तर्क किया कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं थी। अभियुक्त के द्वारा कोई घ ाटना कारित नहीं की गई है। अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में है। अतः उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

प्रकरण अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अवयस्क अभियोक्त्री उम्र 14 वर्ष के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाये जाने का आक्षेप है।

अभियोक्त्री ने अपने पुलिस कथन एवं न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन किया है। डी.एन.ए

रिपोर्ट भी पॉजीटिव है।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र से प्रथम दृष्टया घटना दिनांक को अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम होना दर्शित है।

जहां तक जन्म प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता का प्रश्न है तो उक्त तथ्य साक्ष्य के विश्लेषण की विषय–वस्तु है।

प्रकरण अंतिम स्टेज पर है। प्रकरण में मात्र बचाव साक्षी की साक्ष्य होना शेष है।

उपरोक्तानुसार आरोपित अपराध की प्रकृति; अभियोक्त्री की उम्र एवं डी.एन.ए रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **पवन उर्फ भय्यू** की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. आई.ए. नंबर 01/2026 **निरस्त** किया जाता है।

प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु पूर्व से नियत दिनांक 20.05.2026 को पेश हो।

SHIPRA PATEL

Digitally signed by SHIPRA PATEL
Date: 2026.05.19 16:07:50 +0530

श्रीमती शिप्रा पटेल
विशेष न्यायाधीश लैं.अप.से बा. का संरक्षण अधि0
2012/इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर, जिला इंदौर (म0प्र0)